संख्या–759/XV–1/1(3)/2008

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक** 16 दिसम्बर **, 2008**

विषय : गोसदनों की स्थापना हेतु दिशा निर्देश नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1745/उ०प०क०बो०/2008 दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, श्री राज्यपाल महोदय राज्य में निराश्रित, वृद्ध, बीमार तथा अनुत्पादक गोवंशीय पशुओं को शरण देने के उद्देश्य से गोसदनों की स्थापना हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिशा निर्देश नीति सहर्ष स्वीकृत करते हैं :–

(2) गोसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (Act- XXI of 1860) के अन्तर्गत पंजीकृत निम्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाऐं के आवेदन स्वीकार्य होगे जो कि,
   (क) गोवंश तथा अन्य पशुओं के कल्याण कार्यों हेतु पंजीकृत संस्था हो।
   (ख) बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश के कल्याण हेतु गठित धर्मार्थ संस्था हों।
   (ग) अथवा कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो।

(3) गौ–सेवा/पशु कल्याण कार्यों में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) ऐसी आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो। उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि आवेदक संस्था के कब्जे में हो। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा ही गजट नॉटिफिकेशन न किया गया हो । भूमि के लीज़ पर होने की दशा में भूमि के अगले 30 वर्षो तक लीज़ पर उपलब्ध हो।

(5) आवेदक संस्था को निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।

(6) आवेदक संस्था को अनावर्तक व्ययों यथा ; गोसदन हेतु मुख्य भवन का निर्माण, भण्डारण कक्षों, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुऔषधालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रू० 25.00 लाख होगी।

(7) सम्बन्धित आवेदक संस्था को प्रारम्भ में, उल्लिखित स्थान पर प्रस्तावित निर्माण का साइट प्लान आउटले का रफ एस्टीमेट प्रस्तुत करना होगा। नीतिगत रूप से निर्माण किये जाने के बावत निर्णय हो जाने के उपरान्त आवेदक को साइट प्लान लेआउट का ब्लू प्रिन्ट तथा मदवार वृहद आगणन प्रस्तुत करना होगा। यह आगणन राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग की राजकीय कार्यों हेतु अनुमन्य दरों पर ही प्रस्तुत किये जायें तथा तद्नुसार दरें प्रमाणित करा ली जायें।

(8) आवर्तक व्यय संबंधित संस्था द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा, इसके लिए कोई राजकीय सहायता एवं अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था द्वारा राजकीय सहायता से स्थापित/निर्मित भवन अथवा क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा और यदि संस्था द्वारा गौ–सदनों का संचालन उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं किया जायेगा, तो निर्मित भवन/उपकरणों का उपयोग सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

(10) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जॉच करा ली जाय।

(11) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जॉच करा लिये जाने के उपरान्त निम्न चयन समिति राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा :–

क.	मान0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	– अध्यक्ष
ख.	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
ग.	विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	– सदस्य
घ.	सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	– सदस्य सचिव

आवेदक संस्थाओं के चयन के क्रम में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समिति को किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(12) राजकीय आर्थिक सहायता दिये जाने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 5 वर्षों हेतु प्रभावी अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें पालन न किये जाने की स्थिति में समस्त आर्थिक सहायता अनुदान राशि ब्याज सहित वापस राजकीय कोष में जमा करानी होगी। अनबन्ध पत्र में निम्न शर्तें अवश्य ही उल्लिखित करा ली जाये :–

(i) आवेदक संस्था को लिखित रूप में देना होगा कि प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त नहीं है, न ही उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा ही गजट नॉटिफिकेशन किया गया है तथा भूमि आवेदक संस्था के कब्जे में है। भूमि के लीज़ पर होने की दशा में भूमि के अगले 30 वर्षो तक लीज़ पर उपलब्ध होने की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। प्राप्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से भूमि का क्रय नहीं किया जायेगा।

(ii) आवेदक संस्था पशु के उचित रख–रखाव, आवास व्यवस्था चारा–दाना, भूसा–पानी की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगी।

(iii) आवेदक संस्था गौ–सदन में निर्धारित पशु संख्या तक पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।

(iv) आवेदक संस्था द्वारा बीमार पशुओं का उपचार, स्थानीय राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

(v) उपलब्ध कराये गये निर्माणों/भवनो के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व आवेदक संस्था के द्वारा वहन किया जायेगा।

(vi) आवेदक संस्था के द्वारा राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित निर्माण/भवनों का उपयोग सहमति पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों/अनुदान हेतु आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु ही किया जायेगा।

(vii) आवेदक संस्था निर्माण हेतु दी गयी सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित भवनों/निर्माण का न तो विक्रय करेगी और न ही उसे किराये पर देगी।

(viii) आवेदक संस्था के द्वारा प्राप्त की गयी सहायता अनुदान धनराशि का लेखा–जोखा अलग से रखा जायेगा। इस कार्य हेतु संस्था द्वारा अलग से बैंक खाता खोला जायेगा। शासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बोर्ड के अधिकारी तथा चयन समिति के मान0 सदस्यगणों द्वारा उक्त लेखा–जोखा का कभी भी निरीक्षण किया जायेगा।

(ix) आवेदक संस्था के द्वारा निर्माण कार्य सहायता अनुदान धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा। स्वीकृत मदों में ही सहायता अनुदान धनराशि का सदुपयोग कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त स्वीकृत साईट प्लान लेआउट तथा स्वीकृत एस्टीमेट के अनुरूप ही निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जाने के क्रम में सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) आवेदक संस्था के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्यों पर हुये व्यय अभिलेख प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(xi) आवेदक संस्था के द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्था के अन्य कार्यों की प्रगति के बावत नियमित रूप से मासिक प्रगति सूचना सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सचिव, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति) के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

(xii) आवेदक संस्था के द्वारा संस्था के लेखों का सम्परीक्षण (Audit) कराया जायेगा।

(xiii) वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था का लेखा–जोखा का पूर्ण विवरण सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सचिव, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति) के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

(xiv) अनुबन्ध की शर्तें पालन न करने की स्थिति में आवेदक संस्था द्वारा समस्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि ब्याज सहित वापस राजकीय कोष में जमा करायी जायेगी।

(xv) आवेदक संस्था के द्वारा बिना पूर्वानुमति के स्वीकृत योजना में बड़ा फेरबदल नहीं किया जायेगा।

(xvi) समय–समय पर आवेदक संस्था का निरीक्षण, पशुपालन विभाग के अधिकारियों, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं अन्य राजकीय प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा। आवेदक संस्था के द्वारा निरीक्षण कार्य में पूरा सहयोग किया जायेगा।

(xvii) किसी भी विवाद की दशा में विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा

(xviii) किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत आने वाले न्यायालय में ही किया जा सकेगा।

(13) निर्माण कार्य पूर्ण होने की दशा में आवेदक संस्था को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :–

- स्वीकृत साइट प्लान आउटले तथा स्वीकृत आगणन के अनुरूप ही निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के क्रम में प्रमाण–पत्र।
- निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेखों का प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा सम्परीक्षण प्रमाण–पत्र।

(14) यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या : 759 (1)/ XV–1/1(3)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री जी को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव